CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की एक महती आवश्यकता

मुकेश
व्याख्याता
भँवर कँवर सुगन सिंह महाविद्यालय, इन्द्रपुरा (झुन्झुनूँ)
E-mail- rakeshkhakhil89@gmail.com, Mobile no.- 9636125260

First draft received: 28.01.2024, Reviewed: 08.02.2024, Final proof received: 19.02.2024, Accepted: 12.03.2024

सार-संक्षेप

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है। जहॉ प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। इन अधिकारो के बाद भी सभी बालको को समान रुप से शिक्षा नही प्राप्त हो रही है। क्योंकि बालकों में जन्मजात विभिन्नताएँ पाई जाती है। इन्ही विभिन्नताओं के कारण उनके साथ पृथकता का व्यवहार किया जाता है। इन बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य बालकों के साथ समाहित करने के लिए समावेशी शिक्षा ही एक श्रेष्ठ मार्ग है। यह शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृति है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बालक को चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य बिना किसी भेदभाव के साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने–सिखाने की जरुरतों को पूरा किया जाता है। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को स्वीकार नही करता है, उसी प्रकार समावेशी शिक्षा भी किसी भी बालक के साथ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बाद भी उनको भिन्न रुप में देखने की बजाय एक स्वतन्त्र अधिगम कर्ता के रुप में देखती है।

समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतन्त्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह शिक्षा अधिगमकर्ताओं को गुणात्मक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करते हुए उसकी आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसके जीवन को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करती है। यह सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को साथ लेकर या उनको सम्मिलित करते हुए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी संसाधनों को जुटाने का कार्य करती हैं। यह शिक्षा बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास करती है। यह शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालयी संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करने में सहायक होती है। समावेशी शिक्षा में अधिगम के ही नही बल्कि विशिष्ट अधिगम के नये आयाम प्रदान करने के साथ प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करने में सहायक सिद्ध होती है।

उमातुलि के अनुसार :–*''समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार होता है।''*

समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नही, बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है।

मुख्य-शब्द : *समावेशी, संवेगात्मक, सृजनात्मकता, सर्वव्यापकता, विशिष्ट बालक आदि.*

परिचय

शिक्षा प्रकाश और शक्ति का स्त्रोत है। जिसके द्वारा हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आध्यात्मिक शक्तियों का विकास किया है। शिक्षा स्वयं को व अपनी क्षमताओं को पहचानने का विकास करती है। यह प्रत्येक बालक को चाहे वह किसी भी वर्ग या श्रेणी से सम्बन्धित हो उसे विकास करने के समान अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात विशेषताएं और विभिन्नताये पाई जाती है यही विभिन्नताये उन्हें सामान्य बालकों से अलग विशेष श्रेणी में शामिल करती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा के अन्तर्गत कहा गया है कि कभी–2 बच्चों को अंपग असमर्थ अक्षम आदि शब्दों से सम्बोधित करते है तो उनमें एक प्रकार की कुण्ठा और असहायता की भावना घर कर जाती है। इससे उन कठिनाईयों पर पर्दा पड़ जाता है। जिसका सामना विद्यार्थियों को विविध सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से आने के कारण या कक्षा में अपर्याप्त शिक्षण विधि अपनाने के कारण करना पड़ता है।

ऐसे बालकों को इस कुण्ठित वातावरण से निकालने व समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए एक ऐसे समावेशी वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें इनकी सीखने की प्रकिया में कम से कम बाधाएं उत्पन्न हो इसलिए विद्यालय में ऐसी उदार पाठयचर्या को अपनाया जाए जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो जिससे वे अध्ययन में सफलता प्राप्त करके अपनी सम्भावनाओं का पूर्ण विकास कर सके। विशेष क्षमता वाले बालक जब सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते है तो उनमें सामाजिक गुण विकसित होते है तथा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलने से उनके बीच की दूरी कम हो जाती हैं इस प्रकार के वातावरण से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिलने से वे समाज के अन्य सदस्यों की तरह जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यताएं अर्जित कर सकते है। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों व सामान्य बालकों के बीच तालमेल बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह विशेष क्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षा का उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है, तथा उनकी सीखने की प्रक्रिया को सामान्य बालकों की तरह आसान बनाती है जिससे विशेष क्षमता उनके विकास में बाधक न बने।

''समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और उपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है।''

समावेशी शिक्षा का अर्थ

समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिना किसी भेदभाव व अन्तर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समाज के सभी बालकों को एक समान स्तर पर लाया जा सके।

समावेशी शिक्षा में स्कूलो को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की जरुरत है, जहॉ सभी बच्चो की भागीदारी सुनिश्चित हो। सभी बच्चो खासकर शारीरिक या मानसिक रुप से असमर्थ बच्चो, समाज के हाशिये पर जीने वाले बच्चो और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चो को शिक्षा से फायदा मिले।

प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार :– ''शैक्षिक समावेशन एक ऐसी प्रणाली है जो छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं एवं स्थितियों के अनुरुप दी जाती है।''

नई शिक्षा नीति (New Education Policy) 1986 ने अपंग बालकों की शिक्षा पर जोर दिया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि इन बालकों की शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि वे भी शिक्षित होकर हमारे देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020–बुनियादी ढ़ॉचे के समर्थन के माध्यम से हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में समावेशी शैक्षिक संरचना और समावेशी शैक्षिक संस्कृति को विकसित करने और सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, मानवीय मुल्यों पर सामग्री को शामिल करते हुए पाठयक्रम में सम्बन्धित बदलाव पर जोर देती है।

माइकेल एफ जिआनग्रेकों के अनुसार :– ''समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्वान्तों और प्रयासों के समूह से जो सभी विद्यार्थियों को चाहे वे विशिष्ट हो अथवा नही, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा पर बल देते है।''

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य

1. बालकों के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना।
2. समाज में बालकों के प्रति सवेंदनशीलता को विकसित करना।
3. बालकों में सहभागिता की भावना को विकसित करना।
4. विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।
5. विशिष्ट व सामान्य बालकों में आपसी सांमजस्य का भाव विकसित करना।
6. विशिष्ट बालाकों में नवजीवन का संचार करना।
7. विशेष बालकों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
8. विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों में सीखने की प्रवृति का विकास करना।
9. इन बालकों को अपने कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरुक करना।
10. इन बालकों को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता या महत्व

1. **शैक्षणिक अवसर प्रदान करना:–** समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की तरह असमर्थ बालकों को भी समान शैक्षिक असवर प्रदान करती है। विद्यालय में अध्यापक तथा अन्य लोगों का व्यवहार व सहयोग भी उनकों अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते है। जिससे वह स्वयं को विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ आसानी से समायोजित कर लेता है।
2. **मानसिक विकास करना :–** जब असमर्थ बालक सामान्य विद्यालयों में साधारण बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते है। तो उनके मन में किसी प्रकार की हीन भावना का विकास नही होना है बल्कि उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होने से सकारात्मक सोच विकसित होती है।
3. **सामाजिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना :–** साधारण विद्यालयों में समाज के सभी वर्गो के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते है। उनके साथ मिलकर रहने से असमर्थ बालकों में भी सामाजीकरण की भावना का विकास होता है तथा उनमें प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाई–चारे जैसे सामाजिक गुण विकसित होते है।
4. **समानता की भावना का विकास करना :–** संविधान में सभी बालकों के लिए बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है अतः समानता के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को भी समावेशी शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। समावेशी वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।
5. **प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना :–** असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा की व्यवस्था करने से उन्हें विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है जिससे उनके मन में यह भावना पैदा नही होती है कि वे भी किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से भिन्न है। सामान्य बालक के मित्रवत व्यवहार के कारण का उनके साथ स्वयं को सहजता के साथ समायोजित कर लेते है।
6. **कम खर्चीली शिक्षा प्रणाली :–** जब असमर्थ बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो उनके लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक, मनोवैज्ञानिक व डॉक्टर की व्यवस्था करने से अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। जबकि सामान्य विद्यालय में इस प्रकार की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती है इसलिए असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करने से समय व धन दोनो की बचत होगी।
7. **व्यवसायिक कुशलता का विकास करना :–** साधारण विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ विशेष क्षमताओं वाले बालकों को शैक्षिक–सहशैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त किसी विशेष कौशल में दक्ष बनाया जाना चाहिए जिसे अपने जीवन में उसे किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न रहना पड़े। व्यवसायिक कौशल की दक्षता के आधार पर वह स्वावलम्बी बनकर स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकता है।
8. **समावेशी शिक्षा की सर्वव्यापकता :–** आर.टी.ई. 2009 में 6 से 14 वर्ग के सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा के उद्देश्य को समावेशी शिक्षा के द्वारा ही सम्भव बनाया जा सकता है। समाज में कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने विशेष क्षमता वाले बालकों को विशेष विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होते है। जिसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अतः इन विशेष क्षमता वाले बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करने से उन्हें वो सभी अधिकार व सुविधाएं दी जा सकती है जो सामान्य बालकों को प्राप्त होती है। अतः शिक्षा की सर्वव्यापकता के इस उद्देश्य को समावेशी शिक्षा द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है।

समावेशी शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा में लागू करने के तरीके

1. विद्यालय का वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रखता है। अतः समावेशी शिक्षा हेतु विद्यालय में उचित एवं मनमोहक भवन के साथ भौतिक साज–सज्जा का सामान व शैक्षिक सहायता का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
2. संविधान में प्रत्येक बालक को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होने के कारण किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश से नही रोका जा सकता है। अतः समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विद्यालय में दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए।
3. समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचि आवश्यकताओं, आंकाक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में विविधता एवं पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए ताकि उसे बालक की क्षमताओं आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार अनुकुल बनाकर बालकों की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास किया जा सके।
4. समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षा व्यवस्था में नवीन तकनीकियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है जिनमें शिक्षाप्रद फिल्में टी.वी. कार्यक्रम कम्प्यूटर मोबाइल फोन जैसे आदि उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय में प्रयोग लाये जाने की आवश्यकता है इसके साथ ही बालक, शिक्षक और अभिभावकगण को भी इन नवीन तकनीकी विधियों परिचित से होना चाहिए।
5. समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए विद्यालय को एक सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाना चाहिए तथा उनमें समय –2 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद, खेलकूद जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। उनमें बालकों के अभिभावकों, समाज के सम्मानित व्यक्तियों को आंमत्रित किया जाये ताकि उन्हें भी इन बालकों में एक समावेशीत शिक्षा के वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में फैली भ्रान्तियों को दूर कर उनकी योग्यताओं एवं प्रतिभाओं से परिचित करवाया जा सके।
6. शिक्षक को ही शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति तथा शैक्षिक संस्थानों का आधारशील माना जाता है अतः एक शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, विशिष्ट शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों अध्यापकों से बालकों की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सहयोग व समानतापूर्वक व्यवहार करना तथा आर्थिक सुविधाओं के वितरण आदि कार्यो में निपूण तथा विशिष्ट सामग्री की जानकारी रखने वाला, बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृतियां रखने वाला तथा मनोविज्ञान को समझने वाला होना चाहिए।

7. विद्यालयी शिक्षा की नीतियों एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन करके विशेष क्षमताओं वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के समान अवसर दिये जाने चाहिए।

उपसंहार

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस शिक्षा के माध्यम से ही विशेष क्षमता वाले बालकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही उनमें सामाजिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके उन्हें सामाजिक रुप से परिपक्व बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें सामान्य बालकों की तरह किसी विशेष कौशल में दक्ष बनाकर स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

मिश्रा, डॉ. मृत्युन्ज्य, कुल्हाड़े, प्रमोद कुमार ''एक समावेशी विद्यालय का निर्माण'' अरिहन्त शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।

ठाकुर, यतीन्द्र 2017 ''समावेशी शिक्षा'' अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।

शर्मा, आर.के., 2015 ''समावेशी शिक्षा'', राधा प्रकाशन मन्दिर प्रा. लि., आगरा।

www.edukhabar.com

www.uou.ac.in

www.egyankosh.ac.in